न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 11/2026

1. नागरमल 2. प्रहलाद 3. हीरालाल 4. रामसिंह 5. बिहारीलाल	पुत्र हनुमान, जाति माली, निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
6. लीलाराम 7. ओमप्रकाश	पुत्रगण नागरमल, जाति माली, निवासी पचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

——अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुड़ा, जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

——

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदा गुड़ा, मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नागरमल वगैरह प्रकरण सं0 01/2025 निर्णय दिनांक 29.10.2025

——

उपस्थित :—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुडा के आदेश दिनांक 29.10.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार निर्णय योग्य अदालत मातहत खिलाफ कानूनी व पत्रावली है। अदालत मातहत के समक्ष पूर्व में उक्त पत्रावली चली थी जिसके प्रकरण सं0 19/2019 थे जिसमें दिनांक 17.02.2020 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई थी कि उक्त प्रकरण में स्वयं मौका निरीक्षण कर पुराने कब्जे से सम्बन्धित तथ्यों का परीक्षण कर राज्य सरकार के परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए यदि भूमि नियमन योग्य है तो नियमन की कार्यवाही करें। पत्रावली दिनांक 24.04.2025 को दर्ज की गई तथा दर्ज करने के पश्चात अदालत मातहत ने दिनांक 29.10.2025 को बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। मौका रिपोर्ट में पुराने कब्जे के तथ्यों का विश्लेषण नहीं किया गया तथा अपीलार्थीगण के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड ग्राम पचलंगी में नहीं है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। जिस भूमि बाबत अतिक्रमण को नोटिस लिए गए हैं वो प्रकरण एक साथ करके निर्णय पारित किया गया है जबकि धारा 91 में सामूहिक नोटिस व सामूहिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। सामूहिक कार्यवाही बेड इन लॉ है। सामूहिक नोटिस देकर सामूहिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत के समक्ष

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

यह तथ्य आया है कि अपीलार्थीगण जहां आबाद है वहां आजादी से पूर्व से इनके पूर्वज रहे हैं। अपीलार्थीगण जहां आबाद है वहां उनके चारों और सघन आबादी बसी हुई है जिसमें सड़क बनी हुई है। आबादी भूमि में विद्युत सम्बन्ध है। अपील के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया है जो अपील का भाग है। अपीलार्थीगण के पास उक्त भूमि के पट्टे है। प्रत्येक पट्टे का शुल्क 800 रुपये लेकर पट्टे जारी किये गये हैं। जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करते है। उनको समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। अदालत मातहत ने पूर्व पत्रावली प्रति प्रेषित करते हुए जो निर्देश दिये थे उनकी पालना नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है इसलिए उक्त निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.10.2025 निरस्त कर पूर्व निर्णय के मुताबिक निर्देशों की पालना करते हुए साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे तथा अपीलार्थीगण का प्रकरण नियमन योग्य है नियमन किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के अनुसार निर्णय योग्य अदालत मातहत खिलाफ कानूनी व पत्रावली है। अदालत मातहत के समक्ष पूर्व में उक्त पत्रावली चली थी जिसके प्रकरण सं0 19/2019 थे जिसमें दिनांक 17.02.2020 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई थी कि उक्त प्रकरण में स्वयं मौका निरीक्षण कर पुराने कब्जे से सम्बन्धित तथ्यों का परीक्षण कर राज्य सरकार के परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए यदि भूमि नियमन योग्य है तो नियमन की कार्यवाही करें। पत्रावली दिनांक 24.04.2025 को दर्ज की गई तथा दर्ज करने के पश्चात अदालत मातहत ने दिनांक 29.10.2025 को बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। मौका रिपोर्ट में पुराने कब्जे के तथ्यों का विश्लेषण नहीं किया गया तथा अपीलार्थीगण के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड ग्राम पचलंगी में नहीं है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। जिस भूमि बाबत अतिक्रमण को नोटिस लिए गए हैं वो प्रकरण एक साथ करके निर्णय पारित किया गया है जबकि धारा 91 में सामूहिक नोटिस व सामूहिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। सामूहिक कार्यवाही बेड इन लॉ है। सामूहिक नोटिस देकर सामूहिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य आया है कि अपीलार्थीगण जहां आबाद है वहां आजादी से पूर्व से इनके पूर्वज रहे हैं। अपीलार्थीगण जहां आबाद है वहां उनके चारों और सघन आबादी बसी हुई है जिसमें सड़क बनी हुई है। आबादी भूमि में विद्युत सम्बन्ध है। अपील के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया है जो अपील का भाग है। अपीलार्थीगण के पास उक्त भूमि के पट्टे है। प्रत्येक पट्टे का शुल्क 800 रुपये लेकर पट्टे जारी किये गये हैं। जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करते है। उनको समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। अदालत मातहत ने पूर्व पत्रावली प्रति प्रेषित करते हुए जो निर्देश दिये थे उनकी पालना नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है इसलिए उक्त निर्णय की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.10.2025 निरस्त कर पूर्व निर्णय के मुताबिक निर्देशों की पालना करते हुए साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे तथा अपीलार्थीगण का प्रकरण नियमन योग्य है नियमन किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम पचलंगी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 1.0168 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ पर मकान, टीनशैड, पशु शैड, दुकान, ट्यूबवेल बनाकर अवैध खनन कर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम पचलंगी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 1.0168 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा है कि अपीलान्टस अपनी पट्टे की भूमि पर काबिज है तथा अदालत मातहत ने मौके की जांच नहीं की है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण के निस्तारण उसके समस्त पहलुओं की जांच के बाद किया जाना न्यायोचित होता है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 29.10.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पूर्व आदेश में स्वयं मौका देखने के निर्देश दिये गये थे। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मौका देखने का हवाला दिया है, परन्तु ऑडर सीट में ऐसा अंकन नहीं है। न्यायालय ने लिखा है कि गैर मुमकीन पहाड़ पर पंचायत को पट्टे देने के अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय इस संबंध में भी संबंधित ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त कर अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं